

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

ज्ञापांक.....

दिनांक.....

प्रेषित,

1. आवास सहायक, पंचायत श्रीनगर, प्रखंड घैलाढ़
2. आवास सहायक, पंचायत अर्राहा, प्रखंड घैलाढ़
3. आवास सहायक, पंचायत वरदाहा प्रखंड घैलाढ़
4. आवास सहायक, पंचायत घैलाढ़ प्रखंड घैलाढ़।
5. आवास सहायक, पंचायत भतरंधा परमानन्दपुर, प्रखंड घैलाढ़।
6. आवास सहायक, पंचायत गम्हरिया प्रखंड गम्हरिया।
7. आवास सहायक, पंचायत बभनी, प्रखंड गम्हरिया।
8. आवास सहायक, पंचायत साहुगढ़ प्रखंड मधेपुरा।
9. आवास सहायक, पंचायत तुलसीवाड़ी राजपूर मलिया प्रखंड मधेपुरा।


विषय:- शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड के सत्यापन में बरती जा रही लापरवाही के निमित्त स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 295/आ0 दिनांक 11.04.2016 द्वारा SECC डाटा के आधार निर्गत राशन कार्ड के सत्यापन हेतु आपकी प्रतिनियुक्ति करते हुए नगर परिषद, मधेपुरा में राशन कार्ड सत्यापन कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा वांछित सत्यापन प्रतिवेदन अभी तक कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

राशन कार्ड सत्यापन संबंधी दिनांक 11.06.2016 को समीक्षात्मक बैठक में भी आप अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। आपकी अनुपस्थिति के कारण उक्त सत्यापन से संबंधित कार्य की समीक्षा नहीं हो पाई।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा उक्त कार्य में शिथिलता बरती जा रही है, जो आपके कार्याकलाप के लापरवाही का द्योतक एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है।

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्त के तीन दिनों के अन्दर आवंटित वार्डों की राशन कार्ड का सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अभी तक उक्त कार्य पुरा नहीं किये जाने के निमित्त अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त के तीन दिनों के अन्दर समर्पित करे कि क्यों नहीं राहरी क्षेत्र में राशन कार्ड सत्यापन इस विलंब के चलते आपकी अनुबंध को समाप्त करने की कार्रवाई की जाय।



जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 467/आ0 मधेपुरा, दिनांक 16.06.2016

प्रतिलिपि:- प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़/मधेपुरा/गम्हरिया को सूचनार्थ । निदेश है कि पत्र की तमिला अपने स्तर से संबंधित कमियों को करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन 24 घंटा के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी,
मधेपुरा।